राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 19276/2023

डॉ. गुलाबिंग पुरोहित पुत्र समर्थिंग जी पुरोहित, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी पुरोहित वास, सुथार सेरी, पिंडवाड़ा, जिला सिरोही, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अपने सदस्य सचिव के माध्यम से, झालाना औद्योगिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट नंबर 68 शांति नगर, मेन हाईवे रोड, सिरोही, राजस्थान।

3. जिला कलक्टर, सिरोही, राजस्थान।

4. यूनिट हेड, मैसर्स अल्ट्रा टेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड (नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड (नाथद्वारा सीमेंट वर्क्स) ग्राम ठंडीबेरी और साबेला तहसील पिंडवाड़ा, जिला सिरोही, राजस्थान।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री विक्रम सिंह भाटी

प्रतिवादी के लिए: श्री सज्जन सिंह राठौड़

<u>माननीय श्री न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर</u>

<u>आदेश</u>

रिपोर्ट करने योग्य

निर्णय सुरक्षित : 09/02/2024

फैसला सुनाया गया : 20/02/2024

1. वर्तमान रिट याचिका उत्तरदाताओं को ट्रक पार्किंग यार्ड, अल्ट्रा टेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड, आमली रोड तहसील पिंडवाड़ा, जिला सिरोही में 15.12.2023 को दोपहर 12:00 बजे सार्वजनिक सुनवाई करने से रोकने के लिए दिनांक 09.11.2023 के नोटिस को रद्द करने की प्रार्थना के साथ और प्रतिवादी संख्या 4 इकाई के विस्तार के लिए पर्यावरण मंजूरी के लिए सार्वजनिक स्थान पर नए सिरे से सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने के लिए दायर की गई है।

2. वर्तमान रिट याचिका को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 2- क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिरोही ने समाचार पत्र में दिनांक 09.11.2023 (अनुलग्नक 2) प्रकाशित कर सूचित किया कि चूना पत्थर उत्पादन क्षमता में विस्तार के लिए पर्यावरण मंजूरी के उद्देश्य से एक सार्वजनिक सुनवाई 15.12.2023 को ट्रक पार्किंग यार्ड, अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड, आमली रोड तहसील पिंडवाड़ा, जिला सिरोही में आयोजित की जानी है। याचिकाकर्ता ने अन्य ग्रामीणों के साथ प्रतिवादी नंबर 2 और 3 के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें अनुरोध किया गया कि 15.12.2023 को होने वाली पर्यावरण मंजूरी के लिए सार्वजनिक सुनवाई स्थगित कर दी जाए और इसे निजी स्थान अर्थात ट्रक पार्किंग यार्ड, अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड, पिंडवाड़ा के बजाय गांव थंडीबेरी के निकट किसी सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किया जा सकता है। चूंकि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन में अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि दो परियोजनाएं अलग-अलग स्थानों पर स्थित हैं, एक थांडीबेरी चूना पत्थर खदान (एमएल नंबर 7/94) पर और दूसरी अमली चूना पत्थर खदान (एमएल नंबर 6/94) पर, इस प्रकार, जनसुनवाई दोनों स्थलों के आसपास के क्षेत्र में आयोजित की जानी चाहिए थी। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दो परियोजनाओं के लिए, जो थांडीबेरी चूना पत्थर खदान और अमली पत्थर खदान में स्थित हैं, जनसुनवाई एक सामान्य स्थान अर्थात ट्रक पार्किंग यार्ड, अल्ट्रा टेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड, आमली रोड, नाथद्वारा, तहसील पिंडवाड़ा जिला सिरोही में नहीं हो सकती थी। उन्होंने आगे कहा कि यदि सार्वजनिक सुनवाई दो परियोजनाओं के लिए एक ही स्थान पर आयोजित की गई थी और यह दो परियोजनाओं के करीब नहीं है तो सार्वजनिक सुनवाई का उद्देश्य विफल हो गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान इसका उल्लेख करते हुए लिखित आपत्ति प्रस्तुत की है कि सार्वजनिक सुनवाई

ग्राम पंचायत/खनन स्थल/खनन स्थल के नजदीक आयोजित नहीं की जा रही है और सार्वजनिक सुनवाई परियोजना से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर आयोजित की गई थी।

5. विद्वान वकील ने आगे कहा कि चूंकि सार्वजनिक सुनवाई ट्रक पार्किंग यार्ड, अल्ट्रा टेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड, आमली रोड, नाथद्वारा, तहसील पिंडवाड़ा जिला सिरोही में हुई थी। इसलिए, थांडीबेरी के ग्रामीणों को सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए 2009 एससीसी ऑनलाइन डेल 3836 में रिपोर्ट किए गए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उत्कर्ष मंडल बनाम भारत संघ मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया।

6. इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि रिट याचिका की अनुमति दी जाए और उत्तरदाताओं को थांडीबेरी गांव के नजदीक नए सिरे से सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने का निर्देश दिया जाए।

7. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 14.09.2006 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, सार्वजनिक परामर्श सही मायने में किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सार्वजनिक सुनवाई ट्रक पार्किंग यार्ड, अल्ट्रा टेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड, अमली रोड, नाथद्वारा, तहसील पिंडवाड़ा जिला सिरोही में की गई थी, जो उन दोनों स्थलों के करीब था जहां आगामी विस्तार परियोजनाएं स्थित हैं।

8. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता स्वयं ट्रक पार्किंग यार्ड, अल्ट्रा टेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड, आमली रोड, नाथद्वारा, तहसील पिंडवाड़ा जिला सिरोही में सार्वजनिक सुनवाई के समय उपस्थित था। विद्वान वकील ने आगे कहा कि थांडीबेरी में स्थित गांवों के नजदीक रहने वाले कई व्यक्ति उपस्थित थे और उन्होंने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया।

9. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने कहा कि ग्रामीणों के लिए सार्वजनिक सुनवाई ट्रक पार्किंग यार्ड, अल्ट्रा टेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड, आमली रोड, नाथद्वारा, तहसील पिंडवाड़ा जिला सिरोही में आयोजित की गई थी, जो दोपहर 12:00 बजे ग्राम ठंडीबेरी और सुबेला के रहने वाले हैं। और इन दोनों गांवों के कई लोग सार्वजनिक सुनवाई में शामिल हुए। उन्होंने आगे कहा कि पिंडवाड़ा तहसील के अमली और मालप गांवों के ग्रामीण सुबह 11:00 बजे जनसुनवाई में शामिल हुए। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 14.09.2006 के राजपत्र अधिसूचना में "सार्वजनिक परामर्श" शीर्षक के तहत प्रयुक्त शब्द यह निर्धारित करता है कि स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों की

चिंताओं का पता लगाने के लिए परिशिष्ट IV में निर्धारित तरीके से साइट पर या "उसकी निकटता में" एक सार्वजनिक सुनवाई की जानी आवश्यक है और जिस स्थान पर सार्वजनिक सुनवाई हुई वह उन दोनों स्थानों के करीब है जहां आगामी परियोजनाएं स्थित हैं और इतना ही नहीं, दोनों स्थानों के ग्रामीण ऊपर उल्लिखित स्थान पर अलग-अलग समय अवधि में निर्धारित सार्वजनिक सुनवाई में शामिल हुए हैं। इसलिए, उन्होंने प्रार्थना की कि रिट याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

10. मैंने प्रस्तुतियों पर विचार किया है और दिनांक 14.09.2006 की अधिसूचना सहित मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड को देखा है।

11. वर्तमान मामले में शामिल विवाद यह है कि जब दो से अधिक परियोजनाएं अलग-अलग स्थानों पर स्थित हों, लेकिन पास-पास हों, तो क्या सार्वजनिक सुनवाई एक सामान्य स्थान पर आयोजित की जा सकती है? वर्तमान मामले में, चूंकि दोनों परियोजनाएं एक-दूसरे के नजदीक और उस स्थान के करीब स्थित हैं जहां सार्वजनिक सुनवाई हुई थी, अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 का आदेश पूरा हो चुका था। दोनों खदानों की सीमा के बीच की दूरी 875.77 मीटर है। एवं जनसुनवाई स्थल से थांडीबेरी माइंस की दूरी 4.99 किलोमीटर है। तथा जनसुनवाई स्थल एवं अमली माइंस के बीच की दूरी लगभग 1.76 किलोमीटर है। उत्तरदाताओं ने उपयुक्त स्थान को ध्यान में रखते हुए ट्रक पार्किंग यार्ड, अल्ट्रा टेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड, आमली रोड, तहसील पिंडवाड़ा को दोनों परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक सुनवाई का एक सामान्य स्थान रखा, लेकिन अलग-अलग समय पर। अमली चूना पत्थर खदान परियोजना के लिए जनसुनवाई सुबह 11:00 बजे आयोजित की गई और जनसुनवाई में अमली और मालप के ग्रामीणों ने भाग लिया। जबकि थांडीबेरी चूना पत्थर खदान स्थित इस परियोजना के लिए थांडीबेरी और सुबेला के ग्रामीण दोपहर 12:00 बजे हुई जनसुनवाई में शामिल हुए। यह भी तथ्य है कि याचिकाकर्ता अन्य ग्रामीणों के साथ ट्रक पार्किंग यार्ड, अल्ट्रा टेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड, आमली रोड, तहसील पिंडवाड़ा में आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में शामिल हुए थे। चूँकि सुनवाई के स्थान की भौगोलिक स्थिति दोनों स्थानों के करीब थी, इसलिए, उत्तरदाताओं ने ट्रक यार्ड में अलग-अलग समय पर बैठक आयोजित करना उचित समझा। सार्वजनिक सुनवाई को एक सामान्य स्थान पर आयोजित करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई दिनांक 14.09.2006 की अधिसूचना या किसी अन्य कानून के तहत वर्जित नहीं है। इस न्यायालय की राय में, दिनांक 14.09.2006 की अधिसूचना के शीर्षक "सार्वजनिक परामर्श" के तहत आदेश यह है कि एक सार्वजनिक सुनवाई साइट पर या "उसकी निकटता

में" जिलेवार होगी ताकि स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं को ध्यान में रखा जा सकता है।

12. चूंकि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि जिस स्थान पर सार्वजनिक सुनवाई हुई है वह दो परियोजनाओं के करीब नहीं है, इस न्यायालय की राय में, सार्वजनिक परामर्श के लिए सार्वजनिक सुनवाई का उद्देश्य विधिवत प्राप्त हुआ है। भले ही इसे दो परियोजनाओं के लिए एक ही स्थान पर आयोजित किया गया हो। जिस स्थान पर जनसुनवाई हुई वह निश्चित रूप से दोनों परियोजनाओं के नजदीक था और थांडीबेरी और सुबेला के ग्रामीणों ने जनसुनवाई में भाग लिया और विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता भी सार्वजनिक सुनवाई में शामिल हुआ/भागीदारी करता है, तो वह किसी अन्य स्थान पर सार्वजनिक सुनवाई के लिए आंदोलन नहीं कर सकता है।

13. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, विधानमंडल का इरादा आस-पास के क्षेत्र के व्यक्तियों को सार्वजनिक सुनवाई प्रदान करना है जिसमें परियोजना स्थापित/व्यय की जा रही है और सुनवाई का स्थान परियोजना क्षेत्र के नजदीक होना चाहिए ताकि जो व्यक्ति नजदीक में रह रहे हैं वे अपनी चिंताओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन, आस-पास के क्षेत्र के निवासी किसी विशेष स्थान पर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने पर जोर नहीं दे सकते। चूँकि वर्तमान मामले में, सार्वजनिक सुनवाई अलग-अलग समय पर दो परियोजनाओं के निकट आयोजित की गई थी और इसमें याचिकाकर्ता सहित दोनों क्षेत्रों के ग्रामीणों/व्यक्तियों ने भाग लिया था, इसलिए, जिस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य की गई है, वह इस मामले में हासिल कर लिया गया है।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया, उसका वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

15. ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

(विनित कुमार माथुर), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।